

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अम्बेडकर भवन, जी 3/1, राजमहल रेजीडेंसी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक : एफ 13(1)() साठस०/NAP SrC/वृक/सान्याअवि/20-21/ 63385

जयपुर, दिनांक: 17-11-2021

अभिरुचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest)

राज्य में वृद्धजनों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के दृष्टिकोण से निम्नलिखित अनकवर्ड जिलों यथा (1) बाढ़मेर (2) चित्तौड़गढ़ (3) दौसा (4) सिरोही में जिला मुख्यालयों पर स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से 25 वृद्धजन की आवासीय क्षमता के वृद्धाश्रम (Old Age Home) का वृद्धाश्रम संचालन नियम, 2006 के तहत संचालन किया जाना है। इसके लिये वृद्धजनों के कल्याण के लिये कार्यरत पंजीकृत इच्छुक स्वयं सेवी संस्थाओं से प्रस्ताव दिनांक 05-12-2021 तक संबंधित जिला कार्यालय में कार्यालय समय तक आमंत्रित किये जाते हैं।

विस्तृत विवरण एवं वृद्धाश्रम संचालन हेतु आवेदन पत्र के प्रारूप वृद्धाश्रम संचालन नियम-2006 विभागीय वेबसाईट [www:http://sje.rajasthan.gov.in](http://sje.rajasthan.gov.in) पर देखे जा सकते हैं या संबंधित जिले के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला स्तरीय कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।


(ओ.पी. बुनकर)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ 13(1)() साठस०/NAP SrC/वृक/सान्याअवि/20-21/ 63386-४९

जयपुर, दिनांक: 17-11-2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ/प्रकाशनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राज. जयपुर को देकर लेख है उक्त अभिरुचि की अभिव्यक्ति का राज्य स्तर के एक समाचार-पत्र में प्रकाशन करावें।
2. संयुक्त निदेशक, सूचना प्रोद्योगिकी, मुख्यालय को देकर लेख है कि उक्त सूचना को विभाग की वेबसाईट [www:http://sje.rajasthan.gov.in](http://sje.rajasthan.gov.in) भी अपलोड करावें।
3. निजि सचिव, श्रीमान् निदेशक महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
4. रक्षित पत्रावली।


17/11/XX
अतिरिक्त निदेशक (सा.सु.)

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर मवन, जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर
क्रमांक : एफ 13(1)() सा०सु०/NAP SrC/वृक्त/सान्याअवि/20-21/

जयपुर, दिनांक:

बाड़मेर, चित्तौडगढ़, दौसा, सिरोही अभिरुचि की अभिव्यक्ति के लिये निम्नलिखित शर्तें होंगी :-

1. स्वयं सेवी संस्थायें अपना प्रस्ताव संबंधित जिले के सान्याअवि के जिला कार्यालय में दिनांक 05-12-2021 को सांयः 6.00 बजे तक प्रस्तुत करेंगी तथा जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा सक्षम/उपयुक्त स्वयं सेवी संस्था का चयन किया जाकर स्वीकृति जारी की जायेगी। प्रथमतः एक जिले में 25 वृद्धजनों की आवासीय क्षमता का एक वृद्धाश्रम जिला मुख्यालय पर स्वीकृत किया जायेगा।
2. चयनित संस्था को वृद्धाश्रम संचालन की अनुमति प्रथमतः एक वर्ष के लिये होगी तथा निरीक्षण दौरान संतोषजनक व्यवस्थायें पाये जाने पर वृद्धाश्रम का संचालन निरंतर रखा जायेगा।
3. चयनित संस्था को वृद्धाश्रम संचालन नियम, 2006 की पूर्ण पालना बिना किसी शर्त के किये जाने का बंध-पत्र रु: 500/- के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करने पर ही वृद्धाश्रम संचालन की स्वीकृति दी जायेगी।
4. स्वयं सेवी संस्था को वृद्धाश्रम संचालन नियम, 2006 एवं विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार अनुदान देय होगा।

विस्तृत विवरण एवं वृद्धाश्रम संचालन हेतु आवेदन का प्रारूप के लिये वृद्धाश्रम संचालन नियम-2006 विभागीय वेबसाइट www.sje.rajasthan.gov.in पर देखे जा सकते हैं एवं संबंधित जिले के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला स्तरीय कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।

वृद्धाश्रम नियम, 2006 के अंतर्गत आवेदन पत्र

1	संगठन/ संस्था का नाम	:
	पता	:
	फोन नम्बर	:
	मोबाइल नम्बर	:
	फैक्स	:
2	किस अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड है	:
	रजिस्ट्रेशन संख्या व रजिस्ट्रेशन की तारीख व विधान एवं उद्देश्यों की प्रति (सत्यापित प्रति लगाए)	:
3	विदेशी अभिदाय अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन हैं / नहीं (यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों में प्राप्त सहायता का सत्यापित विवरण)	:
4	प्रबंध मंडल/ शासी निकाय के सदस्यों के नाम एवं पता तथा वर्तमान प्रबंध मंडल के गठन की तारीख (सत्यापित प्रतियाँ)	:
5	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची	:
	i पिछले 3 वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट की प्रति जिसमें तुलनपत्र हो	:
	ii संगठन/ संस्था द्वारा पिछले 3 वर्षों की प्राप्ति व भुगतान लेखा (आय-व्यय का सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित लेखे)	:
6	संस्था की चल व अचल सम्पत्तियों का प्रमाणित ब्यौरा	:
7	परियोजना का विस्तृत विवरण (प्रोजेक्ट रिपोर्ट)	:
A	क्षेत्र जहाँ परियोजना प्रारम्भ की जानी है अथवा की जा रही है, उस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति का विवरण	:
B	सम्मिलित किए जाने वाले लाभार्थियों का लक्ष्य समूह (महिला/ पुरुष)। यदि केन्द्र महिलाओं व पुरुषों दोनों के लिए है तो उनके रहने की पृथक्-पृथक् व्यवस्था की विवरण। (परियोजना के मानचित्र में पृथक्- पृथक् दर्शाया जाये)	:
C	प्रदान की जाने वाली सुविधाओं एवं सेवाओं तथा लाभार्थियों से लिया जाने वाला प्रभार, यदि कोई हो तो उनका विवरण	:
D	योजना के संचालन में संगठन की विशेषज्ञता एवं अनुभव का विवरण	:
E	केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के अन्य विभागों से ऐसी परियोजना के लिए प्राप्त अनुदानों का विवरण (यदि कोई हो)	:
8	संस्था का बैंक खाता संख्या (बैंक के नाम व स्थान सहित)	:
9	गत तीन वर्षों के बैंक से आहरण एवं जमा का प्रमाणित विवरण	:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- 10 नियोजित स्टाफ का विवरण (नाम, पद, आयु, शैक्षणिक योग्यता, प्रदान किये जा रहे मानदेय का विवरण) :
- 11 संस्था द्वारा आहरण—वितरण हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम, पता, दूरभाष संख्या के साथ ही इन्हें इस कार्य हेतु प्राधिकृत किये जाने के सम्बन्ध में संस्था द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रमाणित प्रति

हस्ताक्षर (प्राधिकृत पदाधिकारी) :

नाम :

पता / मोहर :

तारीख :

नोट : आवेदन पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी की निरीक्षण रिपोर्ट अपनी अभिशंषा के साथ ही भिजवावें।

शपथ—पत्र

(शपथ—पत्र रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित होना अनिवार्य है)

मैंने इस योजना को पढ़ लिया है और मैं उसकी अपेक्षाओं व शर्तों को पूरा करता/करती हूँ।
मैं इस योजना की सभी शर्तों का अनुपालन करने का वचन देता/देती हूँ।

हस्ताक्षर (प्राधिकृत पदाधिकारी):

नाम :

पता / मोहर :

तारीख :

निरीक्षण रिपोर्ट के लिए प्रपत्र
वृद्धाश्रम नियम, 2006 के अंतर्गत संचालित वृद्धाश्रम”

- 1 निरीक्षण अधिकारी का नाम व पद :
- 2 निरीक्षण का दिनांक :
- 3 निरीक्षण किये गये स्वैच्छिक संगठन का नाम व पता :
- 4 स्थापना की तिथि :
- 5 संस्था किस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है। पंजीकरण संख्या व दिनांक :
- 6 निरीक्षण के समय उपस्थित वृद्धजनों की संख्या :
- 7 संस्था की आय व स्रोत :
- 8 संगठन द्वारा कितने केन्द्र स्थापित किए गए हैं और प्रत्येक केन्द्र में वृद्ध व्यक्तियों की संख्या :
- 9 वृद्ध व्यक्तियों को देय सुविधाओं का विवरण :
 - i वृद्ध व्यक्ति के लिए संगठन द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं व सेवा का ब्यौरा
 - ii क्या संगठन ने वृद्ध व्यक्तियों की चिकित्सा जांच और उपचार की व्यवस्था की है
 - iii वृद्ध व्यक्ति की शारीरिक व मानसिक क्षमता का स्तर बनाए रखने के लिए प्रदान की जा रही पोषाहार सहायता का ब्यौरा
 - iv वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण के लिए संगठन द्वारा क्या किया गया है तथा उनका उत्पीड़न रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।
 - v क्या प्राप्त अनुदान और हुए व्यय का उचित व अद्यतन रिकार्ड रखा गया है
 - vi क्या संगठन को पहले जारी किए गए अनुदान व व्यय का उचित रिकार्ड रखा गया है

स्त्री			पुरुष			योग
SC	ST	Disabled	SC	ST	Disabled	

गए वर्षावार अनुदान का उचित उपयोग किया गया है यदि हां, चार्टेड लेखाकार द्वारा विधिवत् रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत करें

- vii वृद्ध व्यक्तियों के मनोरंजन और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए किए गए प्रबंध का ब्यौरा
- 10 वृद्धाश्रम में बिजली-पानी एवं सफाई आदि की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है अथवा नहीं ?
- 11 संस्था द्वारा रिकॉर्ड का संधारण किया जा रहा है अथवा नहीं ?
- 12 स्टाफ का ब्यौरा
- 13 सम्पर्क व्यक्ति, उसका फोन नं./ फैक्स नं. आदि
- 14 बैंकर्स के नाम व खाता संख्या

प्रमाणित किया जाता है कि योजना के दिशा-निर्देशानुसार व आवेदन-पत्र में दर्शाये गये तथा संस्था द्वारा संलग्न किये गये दस्तावेजों की जांच कर ली गई है। सभी दस्तावेज पूर्णतः सही पाये गये हैं एवं संस्था की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है तथा चिरायु योजना अंतर्गत वृद्धाश्रम का संचालन सुचारू रूप से किया जा रहा है। मैं संस्था की गतिविधियों से पूर्णतः संतुष्ट हूँ।

हस्ताक्षर :

नाम व पदनाम :

जिला :

राज्य :